



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 559]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 5, 2010/आश्विन 13, 1932

No. 559]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 5, 2010/ASVINA 13, 1932

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर, 2010

**सा.का.नि. 811(अ).**—केन्द्रीय सरकार, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और (i) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, साधारण ड्यूटी काडर समूह क पद भर्ती नियम 1999, (ii) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, दूरसंचार काडर (समूह 'क' और 'ख' पद) भर्ती नियम, 1999 जहाँ तक इनका संबंध समूह 'क' पद से है, (iii) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, उप-कमांडेंट (परिवहन) और सहायक कमांडेंट (परिवहन) भर्ती नियम, 2002 से है, (iv) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, आयुधिक काडर (समूह 'क' और 'ख') भर्ती नियम, 2007, जहाँ तक उनका संबंध समूह 'क' पद से है; (v) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, (इलैक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग काडर), भर्ती नियम, 1981 से है, जहाँ तक इसका संबंध कम्पनी कमांडर (प्रोग्रामर) के पद से है, और (vi) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, सेकेण्ड इन कमाण्ड परिवहन) भर्ती नियम, 2007 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप या गया है गृह मंत्रालय के अधीन भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, में जनरल ड्यूटी काडर में समूह 'क' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, जनरल ड्यूटी काडर (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2010 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.**—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **ज्येष्ठता.**— सीधे प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की ज्येष्ठता उनके द्वारा भर्ती परीक्षा और बुनियादी वृत्तिक पाठ्यक्रम में उनके द्वारा प्राप्त 50:50 अनुपात के अंको के साथ जोड़ कर अवधारित की जाएगी।

6. **नियुक्ति.**— केवल उन्हीं अधिकारियों पर, जिन्होंने इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची में यथा अन्तर्विष्ट अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा यदि वे भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल मैन्चुल, चिकित्सा मैन्चुल खंड-3 में यथा विनिर्दिष्ट विहित चिकित्सा प्रवर्ग श्रेण-1 में हैं।

7. **निरर्हता.**— वह व्यक्ति,—

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

8. **अन्यदेशीय की अपात्रता.**— परंतु इन नियमों में अंतर्विष्ट कोई बात, इन नियमों के अधीन नेपाल, सिक्किम या भूटान की प्रजा की नियुक्ति, भर्ती या नियोजन के लिए वर्जित नहीं करेगी;

कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, लिखित में संज्ञापित केन्द्रीय सरकार की सहमति के सिवाए, उन नियमों के अधीन नियुक्त या नियोजित नहीं किया जाएगा।

9. **शिथिल करने की शक्ति.**— जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

10. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग, के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम, 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. महानिरीक्षक (जनरल ड्यूटी)	06* (2010) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड— 4, 37400—67000 रू0 + ग्रेड वेतन 10000 रू0	चयन	लागू नहीं होता
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	(7)	(8)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(9)	(10)
भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	(11)	(12)		
50% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोन्नति द्वारा : भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे उप महानिरीक्षकों में से जिन्होंने उप महानिरीक्षक के रूप में दो वर्ष नियमित सेवा की है और जो विभाग द्वारा यथा विहित पूर्व-प्रोन्नति पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों को कर चुके हों।	50% भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति द्वारा	टिप्पण 1.— जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।		

	<p><b>टिप्पण 2.—</b> प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए 1.1.2006 या वह तारीख जिसको छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा की गई सेवा आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति द्वारा :</b> भारतीय पुलिस सेवा के ऐसे अधिकारी जो महानिरीक्षक या इस प्रकार नियुक्ति के लिए समतुल्य पद धारण किए हुए या अनुमोदित हैं।</p> <p><b>टिप्पण.—</b> प्रतिनियुक्ति/आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, 1.1.2006 या वह तारीख जिसको छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।</p>
--	--

<b>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना</b>	<b>भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।</b>
<b>(13)</b>	<b>(14)</b>
<p>प्रोन्नति पर विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. सचिव, गृह मंत्रालय — अध्यक्ष</li> <li>2. महानिदेशक, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य</li> <li>3. अन्य बलों से एक महानिदेशक जो अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा — सदस्य</li> <li>4. गृह मंत्रालय से कोई अधिकारी जो अपर सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो, — सदस्य</li> </ol>	<p>संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श के कार्यक्षेत्र से छूट प्राप्त है।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	44* (2010) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड— 4, 37400—67000 रु० + ग्रेड वेतन 8900 रु०	चयन	लागू नहीं होता
(7)	(8)	(9)	(10)		
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		

(11)	(12)
<p>80% प्रोन्नति द्वारा</p> <p>20% भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी और सेना के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति द्वारा</p> <p><b>टिप्पण :</b> प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन पर सेवा कर रहे या सेवा निवृत्त सेना अधिकारियों की कुल संख्या कुल स्वीकृत पदों के 5% से अधिक नहीं होगी।</p>	<p><b>प्रोन्नति :</b></p> <p>भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल के पूर्व जनरल ड्यूटी काडर या दूरसंचार काडर के कमांडेंटों में से जिन्होंने समूह 'क' सेवा की कुल 20 वर्षों सहित कमांडेंट के रूप में दो वर्ष नियमित सेवा की हों और जो जिन्होंने विभाग द्वारा यथा विहित पूर्व-प्रोन्नति पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों को किया हों।</p> <p><b>टिप्पण 1.—</b> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>टिप्पण 2.—</b> प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए 1.1.2006 या वह तारीख जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर दी गई सेवा आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति द्वारा :</b></p> <p>भारतीय पुलिस सेवा के ऐसे अधिकारी जो पुलिस उप महानिरीक्षक का या समतुल्य या इस प्रकार नियुक्ति के लिए अनुमोदित पद धारण किए हुए हैं या सेना के ऐसे सेवारत अधिकारी जो समतुल्य या सदृश रैंक धारण किए हुए हैं या धारण करने के पात्र हैं।</p> <p><b>टिप्पण.—</b> प्रतिनियुक्ति/आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, 1.1.2006 या वह तारीख जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।</p> <p><b>भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्नियोजन :</b></p> <p>सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिक जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास प्रतिनियुक्ति किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है, विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबन्धों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बलों से निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।</p>

(13)		(14)
प्रोन्नति पर विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति :-		संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श के कार्यक्षेत्र से छूट प्राप्त है।
1.	सचिव, गृह मंत्रालय — अध्यक्ष	
2.	महानिदेशक, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य	
3.	अन्य बलों के महानिदेशकों में से एक (जो अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा) — सदस्य	
4.	संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय — सदस्य	
5.	कार्मिक और लोक शिकायत विभाग का नामनिर्देशिती — सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. कमांडेंट (जनरल ड्यूटी)	56* (2010) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड- 4, 37400-67000 रू0 + ग्रेड वेतन 8700 रू0	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(11)	(12)
प्रोन्नति द्वारा	<p><b>प्रोन्नति द्वारा :</b></p> <p>भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे सेक्रेण्ड-इन-कमांड में से जिन्होंने पूर्व जनरल ड्यूटी काडर या दूरसंचार काडर या परिवहन काडर में सेक्रेण्ड-इन-कमांड के रूप में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो जिसके न हो सकने पर सेक्रेण्ड-इन-कमांड के रूप में दो वर्ष नियमित सेवा और समूह 'क' में कुल पंद्रह वर्ष सेवा की हो तथा जिन्होंने विभाग द्वारा यथा विहित पूर्व-प्रोन्नति पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों को किया हो।</p> <p><b>टिप्पण 1.—</b> जनरल ड्यूटी काडर या दूरसंचार या परिवहन काडरों के सेक्रेण्ड-इन-कमांड के संबंध में, प्रोन्नति के लिए पात्रता शर्त जो इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर पद धारण कर रहे हैं, सेक्रेण्ड-इन-कमांड के रूप में दो वर्ष और समूह 'क' सेवा में कुल पंद्रह वर्ष, जारी रहेगी।</p> <p><b>टिप्पण 2.—</b> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>

		<b>टिप्पण 3.</b> — प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए 1.1.2006 या वह तारीख जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।			
		<b>(13)</b>		<b>(14)</b>	
प्रोन्नति पर विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति:—				संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श के कार्यक्षेत्र से छूट प्राप्त है।	
1.	महानिदेशक या अपर महानिदेशक, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल	— अध्यक्ष			
2.	संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय	— सदस्य			
3.	महानिरीक्षक, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल	— सदस्य			
4.	उप महानिरीक्षक, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल	— सदस्य			
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
4. सेकेण्ड इन कमांड (जनरल ड्यूटी)	55* (2010) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड- 3, 15600-39100 रु0 + ग्रेड वेतन 7600 रु0	चयन	लागू नहीं होता
<b>(7)</b>	<b>(8)</b>	<b>(9)</b>	<b>(10)</b>		
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		
<b>(11)</b>		<b>(12)</b>			
प्रोन्नति द्वारा		<p><b>प्रोन्नति द्वारा :</b></p> <p>भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल के पूर्व जनरल ड्यूटी काडर या दूरसंचार या परिवहन या आयुधिक या इलैक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग काडरों के ऐसे उप कमांडेंट जिन्होंने उप कमांडेंट के रूप में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो और जिन्होंने विभाग द्वारा यथा विहित पूर्व-प्रोन्नति पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों को किया हो।</p> <p><b>टिप्पण 1.</b>— जनरल ड्यूटी काडर या दूरसंचार या परिवहन या आयुधिक या इलैक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग काडरों के उप कमांडेंट के संबंध में, प्रोन्नति के लिए पात्रता शर्त जो इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर पद धारण कर रहे हैं, दो वर्ष जारी रहेगी।</p> <p><b>टिप्पण 2.</b>— जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>			

<p><b>टिप्पण 3.—</b> प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए 1.1.2006 या वह तारीख जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर दी गई सेवा आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।</p>					
(13)			(14)		
<p>प्रोन्नति पर विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति:—</p>			<p>संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श के कार्यक्षेत्र से छूट प्राप्त है।</p>		
1.	महानिदेशक या अपर महानिदेशक, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल	— अध्यक्ष			
2.	संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय	— सदस्य			
3.	महानिरीक्षक, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल	— सदस्य			
4.	उप महानिरीक्षक, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल	— सदस्य			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. उप कमांडेंट (जनरल ड्यूटी)	196* (2010) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु0 + ग्रेड वेतन 6600 रु0	चयन	लागू नहीं होता
(7)					
लागू नहीं होता					
(8)	(9)		(10)		
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		लागू नहीं होता		
(11)	(12)				
प्रोन्नति द्वारा	<p><b>प्रोन्नति द्वारा :</b> भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल के पूर्व जनरल ड्यूटी काडर या दूरसंचार या परिवहन या आयुधिक या इलैक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग काडरों के ऐसे सहायक कमांडेंट जिन्होंने सहायक कमांडेंट के रूप में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो और जिन्होंने विभाग द्वारा यथाविहित पूर्व-प्रोन्नति पाठयक्रम या पाठयक्रमों में अर्हिता प्राप्त की हो।</p> <p><b>टिप्पण 1.—</b> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>टिप्पण 2.—</b> प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए 1.1.2006 या वह तारीख जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।</p>				



(13)		(14)
प्रोन्नति पर विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति:-		संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श के कार्यक्षेत्र से छूट प्राप्त है।
1.	महानिदेशक या अपर महानिदेशक, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल - अध्यक्ष	
2.	महानिरीक्षक, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल - सदस्य	
3.	निदेशक या उप सचिव, गृह मंत्रालय - सदस्य	
4.	उप महानिरीक्षक, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल - सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. सहायक कमांडेंट (जनरल ड्यूटी)	456* (2010) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु0 + ग्रेड वेतन 5400 रु0	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)
<p>(i) 20 से 25 वर्ष के बीच पुरुष अभ्यर्थी।</p> <p>(ii) आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर सहायक कमांडेंट (केन्द्रीय पुलिस बल) परीक्षा के लिए नियमों में निर्धारित की गई हो।</p> <p>(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)</p> <p><b>टिप्पण:-</b> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, संघ राज्यक्षेत्र अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।</p>	<p>(i) आवश्यक :</p> <p>(क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री या समतुल्य।</p> <p>(ख) शारीरिक और चिकित्सीय मानक:-</p> <p>ऊँचाई - 165 से0मी0 छाती - 81 से0मी0 (बिना फुलाये) 86 से0मी0 (फुलाने पर) वजन - 50 कि0ग्रा0</p> <p>दृष्टि (चश्मे सहित या उसके बिना)</p> <p>दूर की दृष्टि नजदीक की दृष्टि बेहतर आँख खराब आँख बेहतर आँख खराब आँख (सुधार के बाद दृष्टि) (सुधार के बाद दृष्टि)</p> <p>6/6 6/12 या 6/9 6/9 जे-I जे-II</p> <p>अभ्यर्थी को अर्न्तजानु, सपाट पैर, शिरा या आँखों से तिर्यक नहीं होना चाहिए और उनका उच्च वर्ण दर्शन होना चाहिए। अभ्यर्थी का इशहारा परीक्षण तथा इडरीच-ग्रीन लैंटर्न परीक्षण द्वारा वर्ण दर्शन परीक्षण किया जाएगा। उसका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और ऐसी कोई शारीरिक त्रुटि नहीं होना चाहिए जिससे कर्तव्यों के दक्षपालन में व्यवधान पडने की संभावना हो।</p> <p>(ii) <b>वॉछनीय :</b> वह राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'ख' या 'ग' प्रमाणपत्र रखता हो।</p>

(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	<p>(i) प्रोन्नति द्वारा रिक्तियों का तैतिस प्रतिशत।</p> <p>(ii) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा रिक्तियों का सत्रह प्रतिशत जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा।</p> <p>(iii) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा पचास प्रतिशत।</p> <p>टिप्पण:— सीधे भर्ती द्वारा भरे गये 10 प्रतिशत पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित किए जाएंगे जिनमें शार्ट सर्विस कमीशन (एस.एस.सी. ओ.) के अधिकारी भी सम्मिलित हैं।</p>
(12)		
प्रोन्नति द्वारा:—		
<p>भारत—तिब्बत सीमा पुलिस बल के जनरल ड्यूटी कॉन्डर या दूरसंचार (रेडियो ऑपरेटर एवं रेडियो तकनिशियन) या परिवहन (मोटर परिवहन एवं मोटर मैकेनिक) या आयुधिक या इलैक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कांडर के सुबेदार मेजर और निरीक्षक जिन्होंने सुबेदार मेजर या निरीक्षक के रूप में 03 वर्ष की न्यूनतम सेवा की हो या बल में सुबेदार मेजर और निरीक्षक के रूप में सम्मिलित 03 वर्ष की सेवा की हो और विभाग द्वारा विहित पूर्व-प्रोन्नति पाठयक्रम या पाठयक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा किया हो।</p>		
<p><b>टिप्पण 1.</b>— जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>		
<p><b>टिप्पण 2.</b>— प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए 1.1.2006 या वह तारीख जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।</p>		
सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से:—		
<p>भारत—तिब्बत सीमा पुलिस बल के जनरल ड्यूटी, दूरसंचार (रेडियो ऑपरेटर एवं रेडियो तकनिशियन) या परिवहन (मोटर परिवहन एवं मोटर मैकेनिक) या आयुधिक या इलैक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कांडरों के ऐसे निरीक्षक और उप निरीक्षक जिन्होंने सेवा के चार वर्ष पूरे कर लिए हैं जिसमें प्रशिक्षण अवधि भी सम्मिलित है तथा चिकित्सा श्रेणी शेष-1 हैं, सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे।</p>		
<p><b>टिप्पण 1.</b>— सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए सरकारी नियमों के अनुसार शिथिलता अनुज्ञेय होगी। अपेक्षित शैक्षिक योग्यता स्नातक होगी। निर्णायक तारीख उस वर्ष की एक जनवरी होगी जिसमें परीक्षा संचालित की जाएगी।</p> <p>2. सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए शारीरिक मानक वहीं होंगे जो सीधे भर्ती किए गए सहायक कमांडेंट (जनरल ड्यूटी) को लागू हैं।</p>		

<p>3. भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल द्वारा संचालित सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए तीन अवसर दिए जाएंगे।</p> <p>4. उस वर्ष के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में न भरी गई रिक्तियां प्रोन्नति कोटा में चली जाएंगी और अग्रणीत नहीं की जाएंगी।</p> <p>5. गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित परीक्षा की स्कीम के अनुसार सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा चक्रानुक्रम में संयुक्त रूप से सभी केन्द्रीय पुलिस बलों के लिए यथास्थित किसी एक केन्द्रीय पुलिस बल या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित की जायेगी।</p> <p>6. सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा चयनित सहायक कमांडेंट, सहायक कमांडेंट का पृथक प्रशिक्षण लेंगे और दो वर्ष परिवीक्षा पर रहेंगे।</p>	
<p style="text-align: center;">(13)</p> <p>प्रोन्नति पर विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. महानिदेशक या अपर महानिदेशक, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल— अध्यक्ष</li> <li>2. महानिरीक्षक, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य</li> <li>3. निदेशक या उप सचिव, गृह मंत्रालय — सदस्य</li> <li>4. उप महानिरीक्षक, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य</li> </ol> <p>सीधे भर्ती हुए सहायक कमांडेंट की पुष्टि के लिए समूह 'क' अधिकारियों की छानबीन समिति:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. महानिदेशक, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल — अध्यक्ष</li> <li>2. महानिरीक्षक, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य</li> <li>3. निदेशक या उप सचिव, गृह मंत्रालय — सदस्य</li> <li>4. उप महानिरीक्षक, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य</li> </ol>	<p style="text-align: center;">(14)</p> <p>संघ लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र से छूट प्राप्त है लेकिन सीधे भर्ती और सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक होगा।</p>

[फा. सं. 1-12011/1/2010-संगठन]

एस. सी. सिवाजी राव, उप-सचिव

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th October, 2010

**G.S.R. 811(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of sub-section (2) of section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992, (35 of 1992) and in supersession of the Indo-Tibetan Border Police Force, General Duty Cadre Group 'A' posts Recruitment Rules, 1999; (ii) the Indo-Tibetan Border Police Force, Telecommunication Cadre (Group 'A' and 'B' Posts) Recruitment Rules, 1999, in so far as they relate to Group 'A' posts; (iii) the Indo-Tibetan Border Police Force, Deputy Commandant (Transport) and Assistant Commandant (Transport) Recruitment Rules, 2002; (iv) the Indo-Tibetan Border Police Force, Armourer Cadre (Group 'A' and 'B' Posts) Recruitment Rules, 2007, in so far as they relate to Group 'A' Posts; (v) the Indo-Tibetan Border Police (Electronic Data Processing Cadre) Recruitment Rules, 1981, in so far as it relate to the post of Company Commander (Programmer); and (vi) the Indo-Tibetan Border Police Force, Second-in-Command (Transport) Recruitment Rules, 2007, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'A' posts in the General Duty Cadre in the Indo-Tibetan Border Police Force under the Ministry of Home Affairs, namely :-

**1. Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, General Duty Cadre (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Application.**— these rules shall apply to the posts specified in column(1) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Number of posts, classification and pay band and grade pay/Pay Scale.**— The number of the posts, their classification and pay band and grade pay/pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the afore said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.**— The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.
5. **Seniority.**— The seniority of direct entrants shall be determined by adding together the marks obtained by them in the recruitment test and the basic Professional Courses in the ratio of 50:50.
6. **Appointment.**— The officers who have completed their qualifying or eligibility service as contained in the schedule annexed to these rules shall only be considered for appointment on promotion, deputation or re-employment if they are in prescribed medical category SHAPE-I as specified in the Indo-Tibetan Border Police Force Manual, Medical Manual Volume-III.
7. **Disqualification. — No person,—**
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
  - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person, and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

8. **Ineligibility of aliens.**— Provided that nothing contained in these rules shall debar the appointment, enrolment or employment of a subject of a Nepal, Sikkim or Bhutan under these rules;

No person who is not a citizen of India shall, except with the consent of the Central Government signified in writing be appointed or employed under these rules.

9. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

**10. Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regards.

### SCHEDULE

Name of the Post.	Number of Post.	Classification.	Pay Band and Grade Pay /Pay Scale.	Whether selection or non Selection post.	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Inspector General (General Duty).	06* (2010) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group "A" Gazetted, (Non-Ministerial).	Pay Band-4, Rs.37400-67000 plus Grade Pay Rs. 10,000.	Selection.	Not-applicable.

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	50% by promotion failing which by deputation of Indian Police Service officers.  50% by deputation of Indian Police Service officers

In case of recruitment by promotion or deputation /absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.

(12)

**By promotion:**

From amongst Deputy Inspectors General of Indo-Tibetan Border Police Force with two years regular service as Deputy Inspector General and who have undergone pre promotional course or courses as prescribed by the department.

**Note. 1—** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

**Note. 2—** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the Commission.

**By deputation:**

Indian Police Service Officers holding post of Inspector General or equivalent or approved for appointment as such.

**Note.—**For the purpose of appointment on deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Commission is to be consulted in making recruitment.
(13)	(14)
<p>Group "A" Departmental Promotion Committee for considering promotion :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secretary, Ministry of Home Affairs. - Chairman</li> <li>2. Director General, Indo-Tibetan Border Police Force - Member</li> <li>3. One of the Director General from other Force to be nominated by the Chairman - Member</li> <li>4. An officer not below the level of Additional Secretary, Ministry of Home Affairs - Member</li> </ol>	Exempted from the purview of the Union Public Service Commission consultation.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Deputy Inspector General (General Duty).	44 * (2010) *Subject variation dependent workload.	to on General Central Service, Group 'A' Gazetted (Non-Ministerial).	Pay Band -4, Rs. 37400-67000 plus Grade Pay Rs. 8900.	Selection.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	80% by promotion. 20% by deputation of Indian Police Service officers and Army officers. <b>Note:</b> The total number of serving or retired Army officers on deputation or re-employment shall not be more than 5% of the total sanctioned posts.

(12)

**Promotion.**

From amongst Commandants of erstwhile General Duty Cadre or Telecom cadre of Indo-Tibetan Border Police Force with two years regular service as Commandant with total twenty years of Group 'A' service and who have undergone pre promotion course or courses as prescribed by the department.

**Note. 1—** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

**Note. 2—** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the Commission.

**By deputation:**

Indian Police Service officers holding the post of Deputy Inspector General of Police or equivalent or approved for appointment as such or serving Army Officer holding or eligible to hold equivalent or analogous rank.

**Note.**—For the purpose of appointment on deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission.

**Re-employment of Ex-servicemen:**

The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having qualifications and experience prescribed above for deputationists, shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment.

(13)

(14)

Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering promotion :	Exempted from the purview of the Union Public Service Commission consultation.
1. Secretary, Ministry of Home Affairs. - Chairman	
2. Director General, Indo-Tibetan Border Police Force - Member	
3. One of the Directors General from other Force (to be nominated by the Chairman) - Member	
4. Joint Secretary, Ministry of Home Affairs - Member	
5. Nominee of Department of Personnel and Training - Member	



(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion

(12)

**By Promotion:**

Assistant Commandants of the erstwhile General Duty Cadre and Telecom or Transport or Armourer or Electronic Data Processing cadres of Indo-Tibetan Border Police Force with five years regular service as Assistant Commandant who have undergone pre promotion course or courses as prescribed by the department.

**Note. 1—** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

**Note. 2—** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the Commission.

(13)	(14)
Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering promotion: 1. Director General or Additional Director General, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman 2. Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force = Member 3. Director or Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs - Member 4. Deputy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Member	Exempted from the purview of the Union Public Service Commission consultation.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. Assistant Commandant (General Duty)	456* (2010) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, (Non-Ministerial)	Pay Band -3, Rs. 15600-39100 plus Grade Pay Rs. 5400.	Selection	Not applicable

(7)		(8)																								
<p>(i) Male candidates between 20 and 25 years.</p> <p>(ii) The crucial date for determining the age limit shall be such as may be provided by the central Government from time to time in the rules for the Assistant Commandant (Central Police Force) Examination. (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.)</p> <p>NOTE.- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangj Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh. The Union territory of Andaman Nicobar Islands or Lakshadweep).</p>		<p>(i) <b>Essential:</b></p> <p>(a) Bachelor's Degree of a recognised University or equivalent.</p> <p>(b) Physical and Medical Standards: -</p> <p>Height - 165 cms  Chest - 81 Cms.(Unexpanded)  86 Cms (Expanded)  Weight - 50 Kgs  Eye Sight (with or without glasses)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Distant Vision</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Near Vision</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Better eye</td> <td style="text-align: center;">Worse eye</td> <td style="text-align: center;">Better eye</td> <td style="text-align: center;">Worse eye</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">(Corrected Vision)</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">(Corrected Vision)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6/6</td> <td style="text-align: center;">6/12</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Or</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6/9</td> <td style="text-align: center;">6/9</td> <td style="text-align: center;">J.I</td> <td style="text-align: center;">J.II</td> </tr> </table> <p>The candidates must not have knock knees, flat foot, varicose vein or squint in eyes and they should possess high colour vision. The candidates will be tested for colour vision by Ishahara's test as well as Edrich-Green Lantern test. They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties.</p> <p>(ii) <b>Desirable :</b>  Possession of National Cadet Corps 'B' or 'C' Certificate.</p>	Distant Vision		Near Vision		Better eye	Worse eye	Better eye	Worse eye	(Corrected Vision)		(Corrected Vision)		6/6	6/12			Or				6/9	6/9	J.I	J.II
Distant Vision		Near Vision																								
Better eye	Worse eye	Better eye	Worse eye																							
(Corrected Vision)		(Corrected Vision)																								
6/6	6/12																									
Or																										
6/9	6/9	J.I	J.II																							
(9)	(10)	(11)																								
Not applicable	Two years.	<p>(i) Thirty three percent of the vacancies by promotion.</p> <p>(ii) Seventeen percent of the vacancies by Limited Departmental Competitive Examination failing which by promotion.</p> <p>(iii) Fifty percent by direct recruitment on the basis of the All India Competitive Examination to be conducted by the Union Public Service Commission.</p> <p>Note: Ten percent of posts to be filled by direct recruitment shall be reserved for ex-servicemen including Short Service Commission Officers (SSCOs).</p>																								

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Commandant (General Duty).	56* (2010) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, (Non-Ministerial).	Pay Band -4, Rs. 37400-67000 plus Grade Pay Rs. 8700.	Selection.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion

(12)

**By Promotion:**

From amongst Second-in-Command of Indo-Tibetan Border Police Force with five years regular service as Second-in-Command in the erstwhile General Duty cadre or Telecom or Transport cadres failing which two years regular service as Second-in-Command and total fifteen years of Group 'A' service and who have undergone pre promotion course or courses as prescribed by the department.

**Note. 1—** The eligibility condition for promotion in respect of Second-in-Command of General Duty cadre or Telecom or Transport cadres, who are holding the post on regular basis, on the date of notification of these rules shall continue to be two years as Second-In-Command and a total of 15 years of Group-'A' service.

**Note. 2—** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

**Note. 3—** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the Commission.

(13)	(14)
Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering promotion:	Exempted from the purview of the Union Public Service Commission consultation.
1. Director General or Additional Director General, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman	
2. Joint Secretary, Ministry of Home Affairs. - Member	
3. Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Member	
4. Deputy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Member	

3873 56/10-3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Second in Command (General Duty)	55* (2010) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, (Non-Ministerial)	Pay Band -3, Rs. 15600-39100 with Grade Pay Rs. 7600.	Selection	Not applicable
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion.	
(12)					
<b>By Promotion:</b>					
Deputy Commandants of the erstwhile General Duty Cadre or Telecom or Transport or Armourer or Electronic Data Processing cadres of the Indo-Tibetan Border Police Force with five years regular service as Deputy Commandant and who have undergone pre promotion course or courses as prescribed by the department.					
<b>Note. 1—</b> The eligibility condition for promotion in respect of Deputy Commandant of General Duty Cadre or Telecom or Transport or Armourer or Electronic Data Processing cadres, who are holding the post on regular basis, on the date of notification of these rules shall continue to be two years.					
<b>Note. 2—</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.					
<b>Note. 3—</b> For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the Commission.					

(13)	(14)
Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering promotion : 1. Director General or Additional Director General, Indo Tibetan Border Police Force. - Chairman 2. Joint Secretary, Ministry of Home Affairs. - Member 3. Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Member 4. Deputy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Member	Exempted from the purview of the Union Public Service Commission consultation.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. Deputy Commandant (General Duty)	196* (2010) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A' Gazetted, (Non-Ministerial)	Pay Band -3, Rs. 15600-39100 plus Grade Pay Rs. 6600.	Selection	Not applicable

**By Promotion:**

Subedar Majors and Inspectors of General Duty Cadre or Telecom (Radio Operator and Radio Technician) or Transport (Motor Transport and Motor Mechanic) or Armourer or Electronic Data Processing cadres of Indo-Tibetan Border Police Force with a minimum regular service of three years as Subedar Major or Inspectors or three years combined service as Subedar Major and Inspector in the Force and having successfully completed pre promotion course or courses prescribed by the department.

**Note. 1—** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

**Note. 2—** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the Commission.

**Through Limited Departmental Competitive Examination:**

Inspectors and Sub-Inspectors of General Duty, Telecom (Radio Operator and Radio Technician) or Transport (Motor Transport and Motor Mechanic) or Armourer or Electronic Data Processing cadres of Indo-Tibetan Border Police Force who have completed four years of service including period of training and being in Medical category SHAPE- I shall be eligible to appear in the Limited Departmental Competitive Examination.

**Note. 1—** The maximum age limit for appearing in the Limited Departmental Competitive Examination shall be thirty-five years. The relaxation for Schedule Caste or Schedule Tribe and Other Backward Class candidates shall be admissible as per Government Rules. The required educational qualification shall be graduation. The crucial date shall be the 1<sup>st</sup> day of January of the year in which the Examination is conducted.

2. Physical standards for appearing in the Limited Departmental Competitive Examination shall be same as applicable to directly recruited Assistant Commandant (General Duty) candidates.
3. Three chances shall be given for appearing in the Limited Departmental Competitive Examination conducted by the Indo- Tibetan Border Police Force.
4. The unfilled vacancies in the Limited Departmental Competitive Examination for the year shall go to the promotion quota and shall not be carried forward.
5. The Limited Departmental Competitive Examination shall be conducted by one of the Central Police Forces by rotation jointly for all Central Police Forces or by the Union Public Service Commission, as the case may be as per the scheme of the examination notified by the Ministry of Home Affairs from time to time.
6. The selected Assistant Commandants through Limited Departmental Competitive Examination shall undergo separate training of Assistant Commandants and shall be on probation for two years.

(13)	(14)
<p><b>Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering promotion :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Director General or Additional Director General, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman</li> <li>2. Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Member</li> <li>3. Director or Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs - Member</li> <li>4. Deputy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Member</li> </ol> <p><b>Group 'A' Officers Screening Committee for confirmation of direct recruit Assistant Commandants :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Director General, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman</li> <li>2. Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Member</li> <li>3. Director or Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs - Member</li> <li>4. Deputy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Member</li> </ol>	<p>Exempted from the purview of the Union Public Service Commission but consultation with Union Public Service Commission shall be necessary for direct recruitment and Limited Departmental Competitive Examination.</p>

[F. No. 1-12011/1/2010-ORG]

S. C. SIVAJI RAO, Dy. Secy.